छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 839/2007

1. **श्री एच0डी0 सोनी,** – *अपीलार्थी*
अधिवक्ता, 9 एच.आई.जी.
पद्मनाभपुर कालोनी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 25 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच0डी0 सोनी ने दिनांक 24.12.2005 को जिला अभियोजन अधिकारी, दुर्ग से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका संबंध कोर्ट एवं थाना से होने के कारण जानकारी देने से मना किया गया, उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा दिनांक 05.09.2007 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी सुनवाई के दिवस उपस्थित नही थे और उन्होंने अपने लिखित तर्क के आधार पर ही निर्णय हेतु अनुरोध किया है तथा प्रति अपीलार्थी की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी, दुर्ग उपस्थित हुये, उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पूर्व में अभियोजन शाखा पुलिस विभाग के अधीन होती थी तथा बाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद वह स्वतंत्र रूप से कार्यरत है और पुलिस विभाग से कोई संबंध नही है तथा पुलिस रेग्यूलेशन के प्रावधान भी उन पर लागू नही है, जिनका उद्धरण प्रति अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्क में दिया है, साथ ही मौखिक तर्क में यह बताया है कि जारी किये गये जिन सम्मन की जानकारी चाही गई है वह न्यायालय में ही उपलब्ध है और उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है, अतः उनके द्वारा यह जानकारी दिया जाना संभव नही है, इसके लिए संबंधित न्यायालय में ही आवेदन लगाना चाहिए था । इस संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी का तर्क मान्य योग्य प्रतीत होता है, चूंकि जानकारी उनके यहॉं उपलब्ध नही है और पुलिस रेग्यूलेशन उन पर लागू नही है, अतः उपरोक्त स्थिति में उनके द्वारा दिया गया उत्तर सही है, फिर भी चूंकि दिये गये उत्तर की प्रति न तो अपीलार्थी ने लगाई है और

न ही प्रति अपीलार्थी ने । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रति अपीलार्थी द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में जो बताया गया है उसी को बताते हुए एक स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को प्रदान किया जावे । अब प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त